[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **25** मई, 2018

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "संतृप्त वसा अल्कोहल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत प्रदार्थ से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 अप्रैल, 2018, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि–

(i) विषयगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था;

(ii) विषयगत देशों से आयातित इस विषयगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है,

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.	उप शीर्ष	पदार्थ का	मूल देश	निर्यातक	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क	इकाई	मुद्रा

सं.		विवरण		देश			राशि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	290517, 290519, 382370	सभी प्रकार के संतृप्त वसा अल्कोहल्स, (कैप्राइल्स अल्कोहल्स (सी8) और डेसाइल अल्कोहल्स (सी10) और सी8 और सी10 के मिश्रण को छोड़कर)	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मैसर्स पीटी इकोग्रेन ओलियो केमिकल्स	मैसर्स इकोग्रीन ओलियो केमिकल्स (सिंगापुर) प्रा.लि.	शून्य	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
2	290517, 290519, 382370	-तदैव-	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मैसर्स पीटी मुशिम मास	मैसर्स इंटरकोंटिनेन्टल ऑयल्स एंड फैट्स प्रा.लि. सिंगापुर	7.10	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
3	290517, 290519, 382370	-तदैव-	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मैसर्स पीटी विल्मार नबाती	मैसर्स विल्मार ट्रैडिंग प्रा.लि., सिंगापुर	52.23	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
4	290517, 290519, 382370	-तदैव-	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	कोई भी	92.23	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
5	290517, 290519, 382370	-तदैव-	कोई भी	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	92.23	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
6	290517, 290519, 382370	-तदैव-	मलेशिया	सिंगापुर	मैसर्स एफपीजी ओलिया केमिकल्स एसडीएच बीएचडी	मैसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन, एस.ए. सिंगापुर	17.64	मैट्रिक टन	अमे. डा.
7	290517, 290519, 3823	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया	मैसर्स केएल-कैपोंग ओलियामास एसडीएन	मैसर्स केएल-कैपोंग ओलियामास एसडीएन	शून्य	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.

	70				बीएचडी	बीएचडी			
8	290517, 290519, 382370	-तदैव-	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	कोई भी	37.64	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
9.	290517, 290519, 382370	-तदैव-	कोई भी	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	37.64	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
10	290517, 290519, 382370	-तदैव-	थाइलैंड	थाइलैंड	मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल कं.लि.	मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल कं.लि.	शून्य	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
11	290517, 290519, 382370	-तदैव-	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	कोई भी	22.50	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.
12	290517, 290519, 382370	-तदैव-	कोई भी	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	22.50	मैट्रिक टन	अमे. डॉ.

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या-354/169/2018 –टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार